न्यायालय उप जिला कलेक्टर , बौली सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी – चन्द्र प्रकाश वर्मा , आर ए एस

अपील संख्या 2/21

1. रमेश चन्द पुत्र स्व0 बद्री जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी बडागांव तहसील निवाई जिला टोंक राज0
2. बनवारी लाल पुत्र स्व0 बद्री जाति जाट उम्र 30 वर्ष निवासी बडागांव तहसील निवाई जिला टोंक राज0
3. कमला पुत्री स्व0 बद्री पत्नि जिरंजीलाल जाति जाट उम्र 47 वर्ष निवासी बडागांव तहसील निवाई हाज निवासी मुण्डिया खुर्द तहसील चाकसू जिला जयपुर
4. गलोल पुत्री स्व0 बद्री पत्नि रामकिशन जाति जाट उम्र 36 वर्ष निवासी बडागांव तहसील निवाई हाल निवासी मुण्डिया खुर्द तहसील चाकसू जिला जयपुर
5. ज्यानकी पुत्री स्व0 बद्री पत्नि हंसराज जाति जाट उम्र 33 वर्ष निवासी बडागांव तहसील निवाई हाल निवासी महापुरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
6. सीता देवी पत्नि स्व0 बद्री उम्र 75 वर्ष निवासी बडागांव तहसील निवाई जिला टोंक राज0

.....अपीलान्टस

बनाम

1. ग्राम पंचायत मोरन जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मोरन तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर राज0
2. मूलचन्द पुत्र लक्ष्मण जाति जाट उम्र 83 वर्ष निवासी बडागॉव तहसील निवाई जिला टोंक राज0
3. तीजा पुत्री लक्ष्मण पत्नि आत्माराम जाति जाट आयु 78 वर्ष निवासी बडागांव तहसील निवाई हाल कोथून तहसील चाकसू जिला जयपुर राज.
4. मोतिया पुत्री लक्ष्मण पत्नि श्री नारायण जाति जाट आयु 75 वर्ष निवासी बडागांव हाल निवासी कोथून तहसील चाकसू जिला जयपुर
5. तहसीलदार मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर

..... रेस्पोडेन्टस

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Prakash Verma
Date: 2021.10.27 09:53:58 IST
Reason: Self Attested

Scanned with OKEN Scanner

अपील संख्या 2/21 रमेश बनाम ग्राम पंचायत मोरन

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 201 ग्राम मझेवला द्वारा ग्राम पंचायत मोरन दिनांक 05.08.2007

उपस्थित– श्री राघवेश शर्मा व हरिराम प्रजावत एड़वोकेट अपीलान्टस की और से

उप जिला कलेक्टर, श्री. जिला सवाई माधोपुर

आदेश

दिनांक 18.9.2025

अपीलान्टस की और से यह अपील रेस्पोडेन्टस के विरूघ्द इस आशय की पेश की आराजीयात खसरा नम्बर 1 रकबा 0.29 है. खसरा नम्बर 78 रकबा 1.90 है. खसरा नम्बर 81 रकबा 1.08 है. खसरा नम्बर 83 रकबा 1.09 है. खसरा नम्बर 87 रकबा 0.10 है. खसरा नम्बर 88 रकबा 1.19 है. खसरा नम्बर 89 रकबा 5.91 है. खसरा नम्बर 90 रकबा 1.93 है. खसरा नम्बर 91 रकबा 2.27 है. खसरा 93 रकबा 2.24 है. कुल किता 10 कुल रकबा 18.00 है. वाके ग्राम बोरखेडा पटवारी हल्का मोरन भू. अभिलेख क्षैत्र मित्रपुरा तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। जिनमें 1/7 हिस्सा अपीलांटस व रेस्पोडेण्ट के पूर्वज लक्ष्मण पुत्र रामनिवास जाट निवासी बडागांव तहसील निंवाई का था। लक्ष्मणं के दो पुत्र मूलचन्द व बद्री तथा दो पुत्रियां तीजा व मोतिया है , लक्ष्मण के स्वर्गवास के बाद रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ल0 3 ने पंचायत से साजिश करके उक्त आराजीयात नामान्तकरण रेस्पोडेण्टस ने तन्हा अपने नाम उक्त अपीलाधीन नामान्तकरणा 201 भरवा लिया । उक्त नामान्तकरण से पीडित होकर उत्पीडित होकर यह अपील निम्न में से कुछेक कारणों पर प्रस्तुत हैं ग्राम पंचायत मोरन द्वारा पारित अपीलाधीन नामाान्तकरण संख्या 201 आदेश विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक लक्ष्मण पुत्र रामनिवास के विधिक उत्तराधिकार मूलचन्द , बद्री तीजा मोतिया है। लक्ष्मण पुत्र रामनिवास जाट के 1/7 हिस्से की खातेदारी की आराजीयात में अपीलार्थीगण के पिता व पति बद्री का 1/28 हिस्सा है। परन्तु

उपखण्ड अधिकारी / कलेक्टर
(सवाई माधोपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Prakash Verma
Date: 2025.10.27 09:53:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अपील संख्या 2/21 रमेश बनाम ग्राम पंचायत मोरन

ग्राम पंचायत मोरन ने लक्ष्मण पुत्र रामनिवास के 1/7 हिस्से की भूमि का नामान्तकरण रेस्पोडेण्ट नम्बर 1लगायत 3 के नाम ही अंकित कर दिया जो गलत होने से अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत मोरन व पटवारी हल्का ने नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक लक्ष्मण के वारिसान की विधिवत रूप से कोई जांच नहीं की और सरसरी तौर पर ही रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 लगायत 3 के हक में नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जो कानूनी रूप से अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। नामान्तकरण खोलने से पर्वू अपीलार्थीगण के पिता पति बद्री को अथवा अपीलान्टस को विधिवत रूप से नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर और अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान नही किया । इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की गई है। इस कारण भी नामान्तकरण संख्या 201 गलत साबित हुआ है, इसलिए भी निरस्त किये जाने योग्य हैं। नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व मौके पर कब्जे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत मोरन पटवारी हल्का ने कोई जॉच नही की गई है। जबकि विवादित आराजी के 1/28 हिस्सा की भूमि पर अपीलान्टस के पिता बद्री व उनकी मृत्यु पश्चात अपीलान्टस लक्ष्मण के जीवन काल मय से लगातार काबिज होकर जमीन को मौके पर काश्त करते चले आ रहे है और बहेसियत मोके पर मालिक स्वामी के काबिज है। इस तथ्य की अनदेखी करते हुए नामान्तकरण तस्दीक करने में तहसीलदार जी ने भूली की है। जिससे भी नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत ने लक्ष्मण की फोती के नामान्तकरण को तस्दीक करने से पूर्व उसके वारिसान की जॉच की और न ही गांव में मोतबीर लोगों से पूछताछ की और न ही गवाहान के बयान लिये और मनमाने रूप से मन्नी का रेस्पोडेन्ट नं. 1 ल0 3 को वारिस मानते हुए तन्हा रूप से लक्ष्मण के हिस्से की सारी आराजी का नामान्तकरण रेस्पोडेण्टस के नाम तस्दीक करने में महत्वपूर्व भूल की है। जिससे भी नामान्तकरण रेस्पोडेण्टस के नाम तस्दीक करने में महत्वपूर्व भूल की है। जिससे भी नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत ने लक्ष्मण की फोती के नामान्तकरण को तस्दीक करने से पूर्व उसके वारिसान की जांच की और न ही गांव में मोतबीर लोगों से पूछताछ की और मनमाने रूप से मन्नी का रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 लगायत 3 को वारिस मानते हुए तन्हा रू‹ से लक्ष्मण के हिस्से की सारी आराजी का नामान्तकरण रेस्पोडेण्टस के नाम तस्दीक करने में महत्वपूर्व भूल की है। जिससे भी नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित नामान्तकरण की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी, अपीलान्टस मौके पर उक्त आराजीयात पर काबिज चले आ रहे थे । परन्तु अभी कुल दिनों पूर्व रेस्पो. सारी भूमि को अपनी बताकर अपीलान्टस को बेदखल

उप जिला कलेक्टर बौंली, जिला-सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Prakash Verma
Date: 2025.10.27 09:53:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बौंली (सवाई माधोपुर)

Scanned with OKEN Scanner

अपील संख्या 2/21 रमेश बनाम ग्राम पंचायत मोरन

करने की धमकी देने पर अपीलार्थीगण ने सम्बन्धित नकले निकलवाकर व कानूनी जानकारी लेकर यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अपील पेश करने में अपीलार्थीगण ने जान बूझकर कोई देरी या गलती नही की है। फिर भी कोई देरी मानी जावे तो उसे क्षम्य किये जाने हेतू दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया । रेस्पोडेण्ट सं.1 व 5 बाद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूध्द इकतरफा कार्यवाहीं की गई । व रेस्पोडेण्ट सं. 2,3,4 से दिनांक 28.4.2025 को कोई उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

अधिवक्ता अपीलान्ट श्री राघवेश शर्मा की बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया । यह तथ्य सहीं हैं किं खाता संख्या 47 की आराजीयात खसरा नम्बर 1 रकबा 0. 29 है. खसरा नम्बर 78 रकबा 1.90 है. खसरा नम्बर 81 रकबा 1.08 है. खसरा नम्बर 83 रकबा 1.09 है. खसरा नम्बर 87 रकबा 0.10 है. खसरा नम्बर 88 रकबा 1.19 है. खसरा नम्बर 89 रकबा 5.91 है. खसरा नम्बर 90 रकबा 1.93 है. खसरा नम्बर 91 रकबा 2.27 है. खसरा 93 रकबा 2.24 है. कुल किता 10 कुल रकबा 18.00 है. वाके ग्राम बोरखेडा पटवारी हल्का मोरन भू. अभिलेख क्षैत्र मित्रपुरा तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। जिनमें 1/7 हिस्सा आता है। ग्राम पंचायत मोरण ने लक्ष्मण की फोती के नामान्तकरण को तस्दीक करने से पूर्व उसके वारिसान की जॉच किये बिना ही लक्ष्मण के हिस्से की सारी आराजी का नामान्तकरण रेस्पोडेण्टस के नाम तस्दीक करने में महत्वपूर्ण भूल की है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 201 ग्राम बोरखेडा द्वारा ग्राम पंचायत मोरन दिनांक 21.05.1998 को निरस्त फरमाया जाये एवं ग्राम पंचायत /राजस्व अधिकारी / कर्मचारी को आदेश दिया जाये कि लक्ष्मण पुत्र रामनिवास जाट के विवादित आराजीयात में 1/7 हिस्से में अपीलान्टस के पिता व पति बंद्री का चौथा हिस्सा यानि कुल जमीन में 1/28 हिस्से का नामान्तकरण अपीलान्टस के पक्ष में भरे जाने हेतु पत्रावली प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश दिया जावे।

अतः न्यायहित में प्रकरण की गुणावगुण पर जांच होना आवश्यक हैं ।आलौच्य आदेश स्पीकिंग नहीं हैं ।अतः प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार बौली को रिमाण्ड करना उचित हैं ।

उप जिला कलेक्टर बौंली, जिला सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Prakash Verma
Date: 2025.10.27 09:53:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अपील संख्या 2/21 रमेश बनाम ग्राम पंचायत मोरन

आदेश

उक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट की अपील विरूध्द रेस्पोडेन्टस स्वीकार कर आलौच्य नामान्तरकरण 201 दिनांक 21.05.2007 निरस्त किया जाकर तहसीलदार मित्रपुरा इस आशय के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि प्रकरण में गुणावगुण पर उभयपक्षों की सुनवाई की जाकर विधिवत् नियमानुसार कार्यवाही संपादित करे।

(चन्द्र प्रकश वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला स.मा.

उपखण्ड कलेक्टर
बौंली (सवाई माधोपुर)

उप जिला कलेक्टर
बौंली, जिला सवाई माधोपुर

आदेश आज दिनांक 18.09.2025 को निवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं उच्चारित किया गया ।

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला स.मा.

उपखण्ड कलेक्टर
बौंली (सवाई माधोपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Prakash Verma
Date: 2025.10.27 09:53:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner